सार्वजनिक सूचना

पाठ्यक्रम/अध्ययन केन्द्र एवं विश्वविद्यालयों का प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र

मि. सं. 27–1/2012 (सीपीपी–II) जून, 2013

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संज्ञान में यह बात आई है कि कई राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में बहुत से विज्ञापन प्रकाशित किये जा रहे हैं, जिनके अनुसार कतिपय निजी संस्थान, अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालयी डिग्रियाँ प्रदान करने का अवसर उपलब्ध कराने की पेशकश करते हैं। ये निजी प्रतिष्ठान, विभिन्न डिग्रियाँ प्रदान करने हेतु स्वयं को विभिन्न विश्वविद्यालयों के अध्ययन केन्द्र या प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में तथा विभिन्न डिग्री पाठ्यक्रमों हेतु छात्रों का नामाँकन करने एवं स्वयं के द्वारा अध्यापन एवं परीक्षाओं के संचालन करने का दावा करते हैं। ये निजी संस्थान अपने ही परिसर में अपने ही अध्यापन करवाते हैं। संबंधित विश्वविद्यालय केवल और पाठ्यचर्या एवं अध्यापन सामग्री उपलब्ध कराते हैं तथा जिनके पास अध्यापन के अकादमिक मानकों के पर्यवेक्षण एवं अनुरक्षण का कोई भी तंत्र विद्यमान नहीं है। शिक्षा के मानकों के घोर उल्लंघन की देश भर में चारो ओर कटु आलोचना हुई है। आयोग ने, विभिन्न समाचार–पत्रों में प्रकाशित किये जा रहे भ्रांतिपूर्ण विज्ञापनों को अत्यधिक गंभीरता से लिया है।

अतः सभी संबद्ध व्यक्तियों, जिनमें छात्र एवं अभिभावक भी सम्मिलित हैं, की सूचनार्थ निम्न स्पष्टीकरण प्रस्तुत हैं:

क) कोई भी केन्द्रीय या राज्यीय सरकारी विश्वविद्यालय, अपने निजी विभागों, संघटक महाविद्यालयों एवं अपने संबद्ध महाविद्यालयों के माध्यम से पाठ्यक्रमों का संचालन कर सकता है।

ख) कोई भी विश्वविद्यालय, जो किसी भी राज्य अधिनियम के अंतर्गत या उसके अधीन स्थापित या निगमित है, उस अधिनियम के अंतर्गत, आवंटित प्रादेशिक क्षेत्राधिकार अथवा संबद्ध राज्य की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिचालित होगा तथा किसी भी स्थिति में अपने राज्य की परिधि से बाहर परिचालित नहीं होगा।

ग) कोई भी निजी या मानित विश्वविद्यालय डिप्लोमा, डिग्री या अन्य योग्यता प्रदान करने हेतु पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए, किसी भी महाविद्यालय या संस्थान के साथ संबंधन नहीं कर सकता।

घ) कोई भी केन्द्रीय, राज्यीय, निजी या मानित विश्वविद्यालय, निजी अनुशिक्षण संस्थानों के विशेष व्यवस्थापन के माध्यम से अपने पाठ्यक्रमों का संचालन नहीं कर सकता, चाहे उन पाठ्यक्रमों का संचालन दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही क्यों न किया जाना हो।

ड.) समस्त विश्वविद्यालय, केवल ही डिग्रियाँ प्रदान करेंगे जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट एवं सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की गई।

च) समस्त विश्वविद्यालय, अपनी प्रथम डिग्री एवं परास्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों को उन्हीं विनियमों के अनुसार संचालित करेंगे, जो कि आयोग द्वारा इस विषय में अधिसूचित किये गये हैं।

इस संबंध मे, एतद्द्वारा समस्त छात्रों एवं जनसाधारण को विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों से संबद्ध निम्न प्रावधानों को भी सूचित किया जाता है:

अ. निजी विश्वविद्यालय संबंधी यूजीसी विनियम

किसी राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक निजि विश्वविद्यालयों एक ऐकिक विश्विद्यालय होगा। किसी भी निजी विश्वविद्यालय को अनुमति होगी कि वह अपने अस्तित्व में आने के 5 वर्ष बाद तथा यूजीसी द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के पश्चात गैर परिसरीय केन्द्रों एवं परिसर की परिधि से बाहर परिसर एवं अध्ययन केन्द्र खोल सकेगा बशर्ते वह यूजीसी (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना एवं अनुरक्षण विनियम) 2003 के अन्तर्गत निर्धारित हैं। वैसे अभी वर्तमान में यूजीसी ने किसी भी निजि विश्वविद्यालय परिसर की परिधि से बाहर/अध्ययन केन्द्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान नहीं की है।

ब. मानित विश्वविद्यालय संबंधी यूजीसी विनियम

एक मानित विश्वविद्यालय, केवल अपने मुख्यालयों या गैर परिसरों के भीतर संचालित होगा, जिन्हें सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार भारत सरकार ने अनुमोदित किया है।

जहाँ तक दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों का संबंध है, कोई भी संस्थान जिसे भारत सरकार द्वारा 26 मई, 2010 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मानित विश्वविद्यालय का दर्जा पाने वाले संस्थान) (विनियम 2010 अधिसूचित होने की तिथि) के पश्चात् मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया है उसे दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे संस्थान जिन्हें 26 मई, 2010 से पहले मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया है, उन्हें अपने ऐसे किसी भी गैर परिसरीय केन्द्रों/परिसरीय परिधि के

बाहर के परिसरों द्वारा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति नहीं होगी, जिन्हें 26 मई, 2010 के बाद भारत सरकार ने अनुमोदित किया हो।

ऐसे पाठ्यक्रम जिन्हें मानित विश्वविद्यालयों द्वारा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत पहले से ही संचालित किया जा रहा था, उनके विस्तारण एवं नवीन पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के यूजीसी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा बशर्ते यूजीसी द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा किया गया हो।

यूजीसी ने किसी भी मानित विश्वविद्यालय को अध्ययन केन्द्र स्थापित करने की अनुमति नहीं दी है।

निजी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालयों की मान्यता तथा उनके द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना/स्पष्टीकरण, संयुक्त सचिव (सीपीपी–I) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली, से प्राप्त की जा सकती है।

स. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम

केन्द्रीय/राज्य सरकार के विश्वविद्यालय अपनी स्थापना से संबद्ध अधिनियम के प्रावधानों तथा यूजीसी द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार दूरस्थ प्रणाली के द्वारा पाठ्यक्रम संचालित कर सकते हैं।

विश्वविद्यालयों की मान्यता, उनके अनुमोदित केन्द्रों के संबंध में विनिर्दिष्ट डिग्री तथा यूजीसी से संबंधित विनियमों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों का विवरण यूजीसी वेबसाइटः www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं।

छात्रों को परामर्श दिया जाता है कि वे गैर अनुमोदित अध्ययन केन्द्रों, गैर परिसरीय केन्द्रों, विशेष संस्थानों, महाविद्यालयों/संस्थानों में जो निजी विश्वविद्यालयों या मानित विद्यालयों के साथ सह–संबंधन का दावा करते हैं, दाखिला न लें।

अखिलेश गुप्ता

(अखिलेश गुप्ता)
सचिव